उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3
संख्या : 1466/8–3–10–175विविध/09
लखनऊ : दिनांक : 23 अप्रैल, 2010

कार्यालय–ज्ञाप

उ0प्र0 आवास विकास परिषद क्षेत्र में भवन निर्माण संबंधी कार्यो के विनियमन यथा मानचित्र स्वीकृत, अनधिकृत निर्माण नियंत्रण एवं कम्पॉउन्डिग आदि का कार्य शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–2431/8–3–09–175विविध/09, दिनांक 28 मई, 2009 के द्वारा विकास प्राधिकरणों को स्थानान्तरित किया गया था। तत्कम में शासनादेश संख्या–2960/8–3–09–175विविध/09, दिनांक 27 जुलाई, 2009 द्वारा कतिपय निर्देश भी निर्गत किये गये थे।

2– इस संबंध में उक्त आदेश के विरूद्ध मधुर कोलोनाइजर प्रा0 लि0, मेरठ द्वारा मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच लखनऊ में दायर रिट याचिका संख्या–1365/एमबी/2010 मधुर कोलोनाइजर प्रा0 लि0 बनाम स्टेट आफ यू.पी. व अन्य में निम्नवत आदेश पारित किये गये है :–"**We therefore, stay the operation of the order dated 28-05-09 passed by the state Government and further direct that the building plans submitted by the petitioner be considered for sanction by the U.P. Avas Evam Vikas Parishad, in accordance with rules, subject further orders of the court, expeditiously, without any further delay.**"

3– अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत पूर्व में निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या–2431/8–3–09–175विविध/09, दिनांक 28 मई, 2009 एवं शासनादेश संख्या–2960/8–3–09–175विविध/09, दिनांक 27 जुलाई, 2009 को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

अरूण कुमार सिन्हा
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद लखनऊ।
2– अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण उ0प्र0।
3– उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण उ0प्र0।
4– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0।
5– अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु उ0प्र0।
6– अपर निदेशक, आवास बन्धु को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के बेवसाइट पर अपलोड करते हुए सर्व संबंधितों को इसकी प्रतियॉं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7– मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय,इलाहाबाद तथा लखनऊ बेंच, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से

(राम निरंजन)
अनुसचिव।